

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 54 / 2024

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. चेनाराम पुत्र भुराराम जाति जाट
निवासी गांव एहसान कालवा पो.
उझासर तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर
2. प्रतापाराम पुत्र हुकमाराम निवासी 99
ब्राहमणों का वास ,बालेरा जिला
जालेरा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51, 58 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा और मानक
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा
अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के
प्रतिष्ठान मैसर्स सारण किराणा स्टोर, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 03.08.2022 को
विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोरव (500 एमएल जार) जो कि
अलग-अलग पैकिंग में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार
500-500 एमएल के चार जार घी ब्राण्ड गोरव (500 एमएल जार) वास्ते नमूना क्रय
किया जाकर नमूना संख्या पी-2520 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक
अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व
विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोरव (500 एमएल
जार) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला
जोधपुर को भिजवाया गया। उक्त खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला
जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड गोरव (500 एमएल जार) का नमूना
असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना
दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये
जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला
मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 में उक्त
नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा



- अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **23.07.2024** में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **BRR at 40° C** जिसका मानक स्तर 40.0-44.0 Areas other than Cotton Tract & 41.5-45.0 Cotton Tract Areas के मुकाबले 54.13, **RM Value** जिसका मानक स्तर Min. 24.0 areas other than cotton tract area & Min 21.0 cotton tract area के मुकाबले 0.11, **Polansky Value** जिसका मानक स्तर 0.5-2.0 के मुकाबले 0.42 तथा **Test for presence of vegetable oils** का मानक स्तर **Shall be absent** के स्थान पर **Positive/Present** पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर से रूपये 15,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर से रूपये 1,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
(राजेन्द्र सिंह चौदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर